शान्ती समाज सेवी समिति, 2/377 खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद

वार्षिक प्रगति आख्या वर्ष 2010–11

1. भारत सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिये मध्यान्ह भोजन व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के नगर क्षेत्र में स्थित परिषदीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्य संस्था को प्रदान किया गया। संस्था द्वारा प्रतिदिन निर्धारित मीनू के अनुसार पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण ताजा भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। सौ से अधिक महिलाओं को योजना के अन्तर्गत रसोइया के रुप में रोजगार संस्था के माध्यम से प्राप्त हुआ।

   जिलाधिकारी कानपुर द्वारा संस्था को तहसील बिल्हौर नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया जो संस्था द्वारा गुणवत्ता के साथ संचालित है।

2. भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में संस्था द्वारा 50 बेसहारा निराश्रित महिलाओं हेतु स्वाधार केन्द्र आश्रयगृह का संचालन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समाज से उपेक्षित महिलाओं के आत्मबल को जाग्रत कर उनके अन्दर स्वप्रबन्धन की दक्षता प्रदान की जा रही है। चारित्रिक, नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा प्रदान कर महिलाओं को अवला से सवला बनाकर तकनीकी शिक्षा द्वारा व्यासायिक रुप से भी सुदृड किया जा रहा है। महिलाओं के साथ रहने वाले छोटे बच्चों को भी जागरुक एवं शिक्षित बनाने की गतिविधियॉ संचालित है।

3. भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सहयोग से जनपद फर्रुखाबाद उ0 प्र0 में संस्था द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत पारिवारिक विवादों के कारण उत्पन्न गृह कलह से सम्बन्धित केसों को आपसी वार्ता एवं परामर्श द्वारा सुलह समझौता से निपटाया जाता है। इससे न्यायालय में छोटे मोटें विवादों से सम्बन्धित वादों में कमी हो रही है। जनपद में सद्भावना पूर्ण माहौल बनाने के लिये संस्था की ख्याति फैल रही है।

   संस्था को महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा भारत सरकार के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, जनपद फर्रुखाबाद हेतु सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किया गया है। न्यायालय में आने वाले घरेलू हिंसा से सम्बन्धित विवादों की विवेचना संस्था में कार्यरत काउन्सलरों द्वारा की जाती है तथा सत्य के पक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। संस्था को पुलिस विभाग एवं न्याय विभाग का सहयोग एवं संरक्षण प्राप्त है।

4. भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नेशनल ट्रस्ट के सहयोग से संस्था द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में एक एस्पाइरेशन डे केयर सेन्टर का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रमतिष्क अंगधात, स्वपरायण, मानसिक मान्दित एवं बहु निशक्त बच्चों को स्कूल रडीनेश एवं व्यावहारिक जागरुकता की शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह समाज में मौजूद विशेष बच्चों की सेवा का सराहनीय प्रयास है। जिसका अवसर संस्था को नेशनल ट्रस्ट के सहयोग से प्राप्त हुआ है।

5. भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 ए0सी0 के अन्तर्गत अनुमोदित गरीब जन समुदाय को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराये जाने की योजना के अन्तर्गत संस्था द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरुकता शिविर के माध्यम से निःशुल्क जाँच एवं उपचार तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0सी0एच0) जागरुकता गोष्ठियों के माध्यम से परिवार कल्याण गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा बच्चों का टीकाकरण सम्बन्धी जागरुकता गतिविधियों का संचालन किया गया। इसके अतिरिक्त इसी योजना के अर्न्तगत जनपद में बहुतायत से चल रहे जरी इम्ब्राइडरी व्यवसाय से सम्बद्ध कर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को निःशुल्क जरी इम्ब्राइडरी, प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया तथा उपकरण वितरित किये गये।

6. संस्था द्वारा चलाये जा रहे साइंटिफिक एवं शोसल रिसर्च कार्यक्रम के अन्तर्गत गोष्ठियों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यमों से व्यक्तित्व विकास, नैतिक जागृति भारतीय संस्कृति, दैवीय संस्कार जीवन में धारण करने की शिक्षा प्रदान की गयी। जड़ी, बूटियों के प्रयोग एवं योगा के माध्यमसे आरोग्यता प्राप्त करने के लिये प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति की विस्तृत जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन समुदाय को प्राप्त कराई जा रही है।

7. संस्था द्वारा स्वंय के स्तर से ग्रामीण जागरुकता शिविरों का आयोजन किया गया, जिनके अन्तर्गत जल प्रबन्धन, जल संरक्षण, ग्राम स्वच्छता, गृह, स्वच्छता, बाढ़, भूकम्प आदि से बचाव एवं आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी। विकलांग शिविरों के माध्यम से विकलांगों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं उनसे लाभान्वित होने के तरीकों से अवगत कराया गया। तकनीकी दक्षता प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जरी इम्ब्राइडरी प्रशिक्षण, टी0वी0, वी0सी0आर0, रेडियो प्रशिक्षण संस्था द्वारा गरीब युवाओं को प्रदान कराया गया।

(मुरलीधर गौड़)